

GUIDELINES FOR SELECTION OF SHILP GURU AWARD-2015

1. Background & Objective:

The Shilp Guru Award for master craftpersons was introduced during the year 2002 on the occasion of "Golden Jubilee Year of Handicrafts Resurgence in India" Shilp Guru Awards are being conferred to legendary master craftpersons of handicrafts whose work and dedication have contributed not only to the preservation of rich and diverse craft heritage of the country but also to the resurgence of handicrafts sector as a whole.

2. Eligibility:

Any Indian master craftpersons who is either a National Awardees or a State Awardees of exceptional standing or master craftpersons of extraordinary skills and having immense contribution to handicrafts sector and who is not below the age of 55 years with 20 years of experience as on 31st December of previous year in the field is eligible for the Award provided he/she has contributed significantly to the welfare and development of the craft and craft community. A maximum of 10 Shilp Guru Awards will be given in a year.

3. Award Contents:

Each award shall consist cash prize of Rs.2.00 lakhs, one mounted gold coin, one shawl , and a one Tamrapatra. In addition, appropriate financial assistance will be given to each selected Shilp Guru to innovate and create new products of high level of excellence, high aesthetic value and high quality befitting the stature of the Guru. This assistance will be give as per parameters contained in Design & Technology Up-gradation scheme of Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

In addition to above.

- Shilp Gurus shall actively be associated with activities of RD&TDCs.
- Shilp Gurus will be assisted for participating the International Seminar/ Exhibitions in India/abroad for exchange of ideas between Indian Shilp Gurus and internationally reputed craft designers.
- Monographs shall be published on Shilp Gurus who have exceptionally contributed in the field of development, promotion and process of India Art & Craft.

- Shilp Gurus shall be included in the Advisory Committees of the concerned RD&TDC.
- Reputed institutions like NID, NIFT, IICT, IICD etc. will be requested to associate Shilp Gurus in their crafts activities.
- Shilp Gurus shall be included in State Level Committee for selection of National Award.
- EPCH & CEPC shall be requested to bring about a strong linkage of Shilp Gurus with the exporters.

4. Involvement of Shilp Gurus with other exclusive events:

Over the years the level of excellence and master craftsmanship in traditional handicrafts items have deteriorated owing to inadequate return on investment made by the craftpersons, mechanization & stiff price competition, inability to keep pace with market related design and product demand, lack of correct appreciation by consumer of the aesthetic aspects, quality and master craftsmanship of the product and lack of sustained patronage in this specific traditional sector. This has led to demoralization of the community of craftpersons in different regions of the country and lack of confidence in their own creative expression & spirit which at one point of time was the major driving force for creating brand image of Indian heritage in crafts sector.

It has therefore been decided to give sustained patronage to craft persons to enable them to produce high quality traditional handicrafts products of high national culture & heritage value with high aesthetic sensibility.

5. Procedure for submission of entries:

The Mastercraftspersons may submit their entries in their respective State in the office of the DIC/Directorate of Industries/ concerned Regional Offices/ HM&SECs of Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

The transportation charges for carrying the entries from the above field offices upto the venue of the State Level Selection Committee would be borne by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) in case of Handicrafts items

6. The selection of entries for Shilp Guru will be as follows:

- 6.1 The offices namely HM&SECs, DICs, RD&TDCs, Regional Offices who are the first recipients of the applications and entries from the artisans contesting for the award, shall be responsible for thorough scrutiny of all documents submitted by the contestants for the award and will also exercise due diligence to physically verify the bonafides of the applicants.

6.2 The particulars of the applicants who are existing State Awardees or National Merit Certificate holders or who belong to the family of existing awardees need to be thoroughly checked, particularly for verifying whether the applicant possesses the required craft skill needed for producing the item he/she has submitted for award. This verification process shall be undertaken and completed well before the convening of the meetings of the respective State level Selection Committees.

6.3 The respective State level Selection Committees shall undertake and complete the short listing process at the earliest .

6.4 Immediately after the conclusion of short listing process by the respective State level Selection Committees, the Convener of these Committees namely the Regional Director of the Office of DC (Handicrafts)

6.5 In the event any discrepancy comes to notice or a dispute arises during this verification process, the same shall be brought to the notice of the respective State level Committees for appropriate decision in the matter/resolution of the dispute.

6.6 This verification process of the shortlisted entries shall be completed expeditiously and on priority by the respective Conveners aforesaid, so that the recommendations of the Committees are forwarded to the respective Headquarter Level Committees strictly as per schedule of selection indicated above at para 6.

6.7 As such, the period for inviting the entries from the Mastercraftspersonswill be from . All entries within this period will be submitted by the Mastercraftspersonsalong with the duly filled in Application in the prescribed Performa along with an affidavit stating the item being submitted has been prepared by him/ her together with another affidavit undertaking that he/she is submitting the entry at his/ her own risk and in case of damage, etc. during transportation of the entry due to unforeseen circumstances, the Central Government will not be liable to pay any compensation.

6.8 The final selection of entries from handicrafts shall made by the Central Level Selection Committeeconstituted at the Central Level. The Central Selection Committee shall receive entries from the Headquarters Level Selection Committee for Headquarters Level Selection Committee for Handicrafts.

6.9 It has also been represented that the crafts persons are not able to afford marketing and sending the best of their creations since the process of selection would involve blocking of their investment for a long time. As a result, the best examples of craftsmanship are not coming for selection for National Awards. It has, therefore, been decided that the selection at all the levels will permit marketing organizations, Public or Private (Corporations/Cooperatives/Private traders, exporters, boutiques, etc.) to sponsor entries. The Award shall be given to the craftsmen who have made the items.

6.10

A All sponsored entries by the Central/State Corporation/Voluntary organizations working in the field will be sent to the respective State Level Selection Committee with in stipulated time.

B. Reputed organizations viz. CCIC, NCDPD, EPCH, CEPC, NIFT, NID, HHEC , Crafts Council of India and Central/State Handicrafts Corporations working in the field will be sent may also recommend the applicants for the selection of ShilpGurul Award and their recommendation will go to State Level Selection Committee with in stipulated time.

7. Criteria for Selection :

The following are the main criteria which are to be kept in view for selection of craftsmen

- (a) Excellence of craftsmanship (this can be judged from samples received along with the samples at least 4 photographs of each stage of processing of exhibits/other evidences or videography of the process of exhibits with may be submitted.
- (b) Related achievements (this may be judged from bio-data and other materials submitted by the craftsman/sponsoring organisations).
- (c) Special consideration may also be given while selecting the craftsman and the crafts to the following :
- (d) If the craft practiced is a languishing crafts.
- (e) If there has been a noteworthy effort in term of reviving a languishing craft by way of product diversification or application to contemporary use. In other words, efforts made in order to achieve a breakthrough in the development of craft should be given due consideration.
- (f) Design innovation by the craftsmen.
- (g) Photographs of processing of others exhibits of different stages produced by the applicant.

8. Composition of the Committee

The three tire committee will be same as in case of National Award.

9. Selection procedure :

The selection procedure for selecting the items for Shilp Guru Award will be through a three – tier procedure.

The first stage selection would be at the State Level in case of Handicrafts artisans .

In the second stage of the selection process the handicraft entries recommended by various State Level Selection Committees would be next screened by the Headquarter Level Selection Committee.

In the third and final stage of the selection process the handicrafts entries recommended by Head Quarters Level Selection Committee would be next screen by Central Level Selection Committee.

10. General

- (i) The entries received and not selected at State Level Selection Committee may be returned to concerned persons immediately and not beyond 30 days after the selection process is over. An appreciation letter may be issued by the Convener of SLC to the concerned persons for his/her participation.
- (ii) The field Offices of DC(HC) i.e. RD&TDC and M&SECs, BCDI etc. may be asked to identify and sponsor excellent innovative works every year.
- (iii) The Central Cottage Industries Corporation of India Limited through its Emporia situated in various cities, will extend marketing support to the crafts persons whose entries are shortlisted for National Awards and certificates of merit.
- (iv) For entries, recommended by the Headquarters Level Committee, but not considered, at Central Level for Award, an appreciation letter shall be sent to the participating artisans under signature of DC (HC)/ADC (HC) and an entry may be made in the craftspersons pass book. Such artisans may be given preference for participation in various approved marketing programmes of the Office of the DC (HC).
- (v) A mandatory brief note at the end of every financial year need to be furnished by each Regional Office and M&SEC regarding steps under taken by them to encourage the artisans for submission of Shilp Guru award entries.
- (vi) All the non-official members of the State Level may be reviewed/changed every two years and new members with good background in the field of Handicrafts may be co-opted to make the selection process more transparent and unbiased.
- (vii) A panel of 15 reputed Sr. designers shall be prepared for 2 years at Hqrs. Level both in the Office of the DC (Handicrafts) and DC (Handlooms), Designers from the panel will be nominated as member in the Headquarters\State Level Selection Committees.
- (viii) To avoid any complication or controversy in the selection process and to make it transparent a uniform proforma including different parameters on which the Committees shall assess each entry may be devised for the members of the StateLevel Committees to facilitate them to record their opinion and score on the proforma against each parameter and for each competing entry. A brief bio-data and description of the entry of the corresponding artisan whose entries are to compete shall be sent to the Committee in advance.

11. Publicity:

- (a) Wide publicity may be given by the Regional Director, HM&SEC's (HC) through permanent hoardings at each field office , DilliHaat, National Level Melas, Gandhi Shilp Bazars, etc. and pamphlets may be distributed in all crafts clusters, DilliHaat, Crafts Bazars, Melas etc. The boards/hoardings and pamphlets may clearly indicate the last date for submission of Award entries and brief criteria of selection.

- (b) Advertisements may be given on Television/AIR and in local newspapers by the Regional Directors, HM&SEC's (HC). All NGOs working for Handicrafts sectors may be requested to make wide publicity about National Awards in their programmes funded by DC(HC) and incentives may be considered for the NGOs, State Handicrafts Corporations for searching best entries. The incentives may be in the form of Appreciation Certificate.
- (c) District Collectors/Magistrate/DICs/BDOs/Panchayat and DRDA may be requested to make publicity at their level.
- (d) The Regional Directors, HM&SEC's shall hold exclusive meetings with craftpersons representatives of craftpersons Associations for better awareness of National Award Scheme and they may release suitable advertisement in the local newspapers well in advance.
- (e) The Regional Directors, HM&SEC' shall make publicity of National Award Scheme and its last date of submission of the entries.
- (f) Special mention may be made in the meetings/Workshops/ seminars/ symposium/interaction session etc., Regional Directors, HM&SEC's about the National Award scheme and the facilities to be provided to participants.

शिल्प गुरु पुरस्कार - वर्ष 2015 के चयन के लिए दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :

सिद्धहस्तशिल्पियों के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 के दौरान “ भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष ” के अवसर पर की गई थी। शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तशिल्प के उन महान सिद्धहस्तशिल्पियों को प्रदान किए जाते हैं जिनके कार्य एवं लगन से न केवल देश की समृद्ध एवं विविध शिल्प विरासत के संरक्षण में बल्कि हस्तशिल्प क्षेत्र के पुनरुत्थान में भी योगदान दिया हो।

2. पात्रता :

भारत का कोई भी सिद्धहस्तशिल्पी जो असाधारण स्तर या विशिष्ट कौशल युक्त राष्ट्रीय पुरस्कृत या राज्य पुरस्कृत सिद्धहस्तशिल्पी हो और जिसने हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो तथा जिसकी आयु 55 वर्ष से कम न हो और पिछले वर्ष 31 दिसंबर को इस क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव रखता हो इस पुरस्कार हेतु पात्र है बशर्ते उन्होंने शिल्प एवं शिल्प समुदाय के कल्याण एवं विकास में असाधारण योगदान दिया हो। एक वर्ष में अधिकतम 10 शिल्प गुरु पुरस्कार दिए जाएंगे।

3. पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मदें :

प्रत्येक पुरस्कार में 2.00 लाख रूपए का नकद पुरस्कार , एक स्वर्ण सिक्का , एक शॉल , एक प्रमाणपत्र और एक ताम्रपत्र शामिल होगा।

इसके अतिरिक्त , जिस श्रेष्ठ कृति के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है उसकी दो प्रतिकृतियां बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और प्रतिकृति बनाने के लिए 12वीं योजना में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की अनुमोदित डिजाइन एवं प्रोद्योगिकी उन्नयन स्कीम में विहित मापदंडों के अनुसार 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में 2.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उपर्युक्त के अलावा -

- शिल्प गुरु क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे।
- शिल्प गुरुओं को भारत/विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/प्रदर्शनियों में भारतीय शिल्प गुरुओं तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिल्प डिजाइनरों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान हेतु भाग लेने में सहायता दी जाएगी।
- जिन शिल्प गुरुओं ने भारतीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में विकास , संवर्धन तथा प्रक्रिया में अभूतपूर्व योगदान दिया हो उन पर मोनोग्राफ प्रकाशित किया जाएगा।
- शिल्प गुरुओं को संबंधित क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की सलाहकार समितियों में शामिल किया जाएगा।
- प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे निड , निफ्ट , आई आई सी टी , आई आई सी डी आदि से अनुरोध किया जाएगा कि शिल्प गुरुओं को उनकी गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।
- शिल्प गुरुओं को राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन हेतु राज्य स्तर समितियों में शामिल किया जाए।
- ई पी सी एच और सी ई पी सी से अनुरोध किया जाएगा कि शिल्प गुरुओं एवं निर्यातकों के बीच मजबूत लिंक बनाया जाए।

4. अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों में शिल्प गुरुओं की संलिप्तता :

वर्षों से परंपरागत हस्तशिल्प मर्दों में शिल्पियों द्वारा किए गए निवेश की अपर्याप्त वापसी, मशीनीकरण एवं कड़े मूल्य प्रतिस्पर्धा , बाज़ार संबंधी डिजाइन तथा उत्पाद मांग के साथ गति बनाए रखने में असमर्थता , सौंदर्यपरक पहलू पर उपभोक्ताओं द्वारा उचित सराहना की कमी, उत्पाद की गुणवत्ता और सिद्धहस्तशिल्पता और इस विशिष्ट पारंपरिक क्षेत्र में धारणीय संरक्षण में कमी के कारण उत्कृष्टता तथा सिद्धहस्तशिल्पता के स्तर में कमी आई है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिल्पी समुदाय का मनोबल ह्रास हुआ है और उनकी अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति तथा उत्साह में विश्वास की कमी आई है जो एक समय में शिल्प क्षेत्र में भारतीय धरोहर को ब्रांड इमेज बनाने के लिए मुख्य प्रेरणा शक्ति थी।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि शिल्पियों को धारणीय संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि उन्हें उच्च सौंदर्यबोध के साथ उच्च राष्ट्रीय संस्कृति एवं धरोहर के उच्चस्तरीय पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में समर्थ बनाया जा सके।

5. प्रविष्टियां देने की प्रक्रिया :

सिद्धहस्तशिल्पी अपनी प्रविष्टियां अपने राज्यों के डी. आई. सी./उद्योग निदेशालयों/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों को भेज सकते हैं।

प्रविष्टियों को उपर्युक्त फील्ड कार्यालयों से राज्य स्तर चयन समिति के स्थान तक ले जाने का परिवहन व्यय हस्तशिल्प मर्दों के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

6. शिल्प गुरुओं के लिए चयन की विधि निम्न प्रकार है :

6.1 कार्यालय नामशः हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र , डी आई सी, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय जो पुरस्कार स्पर्धा में शिल्पियों द्वारा आवेदन तथा प्रविष्टियां प्राप्त करने के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, वे पुरस्कार हेतु प्रतिभागियों द्वारा जमा कराए गए सभी दस्तावेजों की सम्पूर्ण संवीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे और आवेदनकर्ताओं की वास्तविकता की भौतिक पुष्टि के लिए भी अपेक्षित श्रम करेंगे।

6.2 आवेदकों के ब्यौरे जो मौजूदा राज्य पुरस्कृत तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक हैं या जो मौजूदा पुरस्कृतों के परिवार से संबंध रखते हैं को भली -भांति जांचने की आवश्यकता है विशेषकर यह जांचने के लिए कि क्या आवेदक पुरस्कार के लिए जमा की गई मद को बनाने के लिए आवश्यक शिल्पकला में पारंगत हैं। यह जांच प्रक्रिया संबंधित राज्य स्तर चयन समितियों की बैठकों के आयोजन से काफी पहले आरम्भ करके पूरी की जानी होगी।

6.3 संबंधित राज्य स्तर की चयन समितियां चयनित सूची तैयार करेंगी और शीघ्रतम पूरा करेंगी।

6.4 संबंधित राज्य स्तर चयन समितियों द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के शीघ्र पश्चात, इन समितियों के संयोजक नामशः क्षेत्रीय निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय केवल उन कारीगरों के आवेदनों/प्रविष्टियों के संबंध में एक अन्य जांच प्रक्रिया शुरू करेंगे जिन्हें संबंधित राज्य स्तर की समितियों द्वारा चुना गया है।

6.5 इस जांच प्रक्रिया के दौरान यदि किसी विसंगति का पता चलता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संबंधित राज्य स्तर की समितियों के ध्यान में लाया जाए ताकि विवाद के समाधान हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

6.6 उपर्युक्त संबंधित संयोजकों द्वारा चयनित प्रविष्टियों की जांच प्रक्रिया अविरोध तथा प्राथमिकता पर पूरी होनी चाहिए जिससे समिति की सिफारिशों को, उपर्युक्त पैरा 6 में दर्शाई गई चयन अनुसूची के अनुसार इसका सख्ती से पालन करते हुए, संबंधित मुख्यालय स्तर की समितियों को भेजा जा सके।

6.7 इस अवधि में सिद्धहस्तशिल्पियों द्वारा सभी प्रविष्टियां, निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरते हुए आवेदन तथा शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि यह मद उनके द्वारा तैयार की गई है, के साथ, देनी होगी तथा एक और शपथ-पत्र जिसमें यह आश्वासन दिया गया हो कि वह अपने जोखिम पर प्रविष्टि जमा करवा रहा/रही है और यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रविष्टि को लाने-ले जाने के दौरान नुकसान आदि के मामले में, केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

6.8 हस्तशिल्प से प्रविष्टियों का अंतिम चयन, केन्द्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय स्तर की चयन समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। केन्द्रीय स्तर चयन समिति हस्तशिल्प हेतु मुख्यालय स्तर की चयन समिति से प्रविष्टियां प्राप्त करेंगी।

6.9 यह भी बताया गया है कि चूंकि चयन प्रक्रिया में लम्बे समय तक शिल्पियों की जमाराशि अवरुद्ध हो जाती है इसलिए वे अपनी श्रेष्ठ कृति भेजने में सक्षम नहीं होते हैं जिसके परिणामस्वरूप, शिल्पियों की श्रेष्ठ कला राष्ट्रीय पुरस्कारों के चयन हेतु नहीं पहुंच पाती है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि चयन के प्रत्येक स्तर पर विपणन संगठनों, सार्वजनिक या

निजी (निगमों/ को-ऑपरेटिक्स/निजी ट्रेडर्स, निर्यातक, बुटिक आदि) द्वारा प्रविष्टियों को प्रायोजित करने की अनुमति होगी। पुरस्कार उस शिल्पी को दिया जाएगा जिसने वह मद बनाई है।

6.10

(क) केन्द्रीय/राज्य निगम/फील्ड में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सभी प्रायोजित प्रविष्टियां संबंधित राज्य स्तर चयन समिति को निर्धारित समय में भेजी जायेगी।

(ख) इस क्षेत्र में कार्यरत सीसीआईसी , एनसीडीपीडी , ईपीसीएच , सीईपीसी , निफ्ट , एनआईडी , एचएचईसी, भारतीय शिल्प परिषद , और केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगम जैसे प्रतिष्ठित संगठन भी राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए आवेदकों को संस्तुत कर सकती हैं और उनकी संस्तुति निर्धारित समय के भीतर राज्य स्तर की चयन समिति के पास पहुंच जानी चाहिए।

7. चयन के लिए मानदंड

शिल्पियों के चयन के लिए ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य मानदंड निम्न प्रकार से हैं -

(क) शिल्पकारिता की उत्कृष्टता को प्राप्त नमूनों से जांचा जा सकता है तथा यदि सम्भव हो तो प्रदर्शित मद को बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की न्यूनतम 4 फोटो अथवा प्रदर्शित मद को बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भेजी जाए।

(ख) संबंधित उपलब्धियां (आवेदक द्वारा भेजे गए बायो-डाटा और शिल्पियों / प्रायोजित संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई अन्य सामग्री द्वारा जांचा जाए)।

(ग) शिल्पी या शिल्प के चयन के समय निम्नलिखित को विशेष महत्व दिया जाना अपेक्षित है:-

(1) यदि प्रचलित शिल्प लुप्तप्राय शिल्प हो।

(2) यदि उत्पाद विविधिकरण अथवा समकालीन प्रयोग के माध्यम से लुप्तप्राय शिल्प के जीर्णोद्धार में उल्लेखनीय प्रयास रहा हो। दूसरे शब्दों में, शिल्प के विकास में महत्वपूर्ण खोज को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए।

(3) शिल्पियों द्वारा अभिनव डिजाइन।

(4) आवेदक द्वारा भेजी गई मद को बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की फोटो।

8. समिति का संघटन :

तीन स्तरीय समिति राष्ट्रीय पुरस्कार के समान ही होगी।

9. चयन प्रक्रिया:

शिल्प गुरु पुरस्कार के लिए मर्दों की चयन प्रक्रिया हेतु 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया होगी।

हस्तशिल्प कारीगरों के मामले में राज्य स्तर चयन का प्रथम चरण होगा ।

चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में विभिन्न राज्य स्तर की चयन समितियों द्वारा संस्तुत हस्तशिल्प प्रविष्टियों को मुख्यालय स्तर की चयन समिति द्वारा जांचा जाएगा।

चयन प्रक्रिया के तीसरे एवं अंतिम चरण में हस्तशिल्प की मुख्यालय स्तर की समिति द्वारा संस्तुत हस्तशिल्प मर्दों को केंद्रीय चयन समिति द्वारा जांचा जाएगा।

10. सामान्य :

(i) प्राप्त प्रविष्टियां जिनका राज्य स्तर चयन समिति द्वारा चयन नहीं किया जाता है उन्हें तुरंत और चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्तियों को लौटा दिया जाए। संबंधित व्यक्तियों के उनकी भागीदारी के लिए एसएलसी के संयोजक द्वारा सराहना पत्र जारी किया जाए।

(ii) विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) के फील्ड कार्यालयों अर्थात क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र तथा विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र , बी सी डी आई आदि को प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभिनव कार्यों की पहचान कर तथा प्रायोजित करने को कहा जाए।

(iii) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विभिन्न शहरों में स्थित अपने एम्पोरियमों द्वारा उन शिल्पियों को विपणन सहायता प्रदान करेगी जिनकी प्रविष्टियों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा श्रेष्ठता प्रमाण पत्र के लिए चुना गया है।

(iv) जिन प्रविष्टियों को मुख्यालय स्तर समिति द्वारा संस्तुत किया गया किंतु केंद्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया उन प्रतिभागी कारीगरों तथा बुनकरों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)/अपर विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) के हस्ताक्षर से सराहना पत्र भेजा जाए जिसकी प्रविष्टि शिल्पी की पास बुक में भी की जाए। ऐसे शिल्पियों को विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) कार्यालय द्वारा अनुमोदित विभिन्न विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय तथा विपणन सेवा एवं विस्तार केन्द्र द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक अनिवार्य संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने हेतु कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो।

(vi) प्रत्येक दो वर्ष में राज्य स्तर समितियों के सभी गैर-सरकारी सदस्यों की समीक्षा/बदलाव किया जाए और हस्तशिल्प क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखने वाले नए सदस्यों को शामिल किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भेदभाव रहित हो।

(vii) विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) में मुख्यालय स्तर पर दो वर्षों के लिए 15 प्रतिष्ठित डिजाइनरों का एक पैनल बनाया जाए , पैनल के डिजाइनरों को मुख्यालय/राज्य स्तर चयन समितियों के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

(viii) चयन प्रक्रिया में किसी भी समस्या या विवाद से बचने और इसे पारदर्शी बनाने हेतु राज्य स्तर समितियों के सदस्यों के लिए विभिन्न मापदंडों सहित एक समरूप प्रोफार्मा बनाया जाए जिसके आधार पर और उन्हें प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में अपने विचार रखने और प्रोफार्मा में प्रत्येक पैरामीटर के सामने अंक प्रदान करने में सुविधा हो। संबंधित कारीगरों जिनकी प्रविष्टियां स्पर्धा में हो उनका संक्षिप्त बायो-डाटा और प्रविष्टि का विवरण समिति को पहले ही भेज दिया जाना चाहिए।

11. प्रचार :

(क) क्षेत्रीय निदेशक, हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों (हस्तशिल्प) द्वारा प्रत्येक फील्ड कार्यालय, दिल्ली हाट, राष्ट्रीय स्तर के मेलों, गांधी शिल्प बाजार आदि में स्थायी होर्डिंग द्वारा विस्तृत प्रचार किया जाना अपेक्षित है और सभी शिल्प कलस्टर्स, दिल्ली हाट, शिल्प बाजारों, मेलों आदि में पैम्फलेट वितरित किए जाने ज़रूरी हैं। बोर्ड/होर्डिंग और पैम्फलेट में पुरस्कार प्रविष्टियों को भेजने की अंतिम तिथि तथा चयन का संक्षिप्त ब्यौरा स्पष्ट दर्शाया जाए।

(ख) क्षेत्रीय निदेशक , हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों (हस्त शिल्प) द्वारा टेलीविज़न/रेडियो और स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जाए। हस्तशिल्प क्षेत्रों में कार्यरत सभी गैर-सरकारी संगठनों से वि. आ. (हस्त शिल्प) द्वारा निधित उनके कार्यक्रमों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में विस्तृत प्रचार करने के लिए अनुरोध किया जाए और श्रेष्ठ प्रविष्टियां खोजने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, राज्य हस्तशिल्प निगमों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाए। प्रोत्साहन सराहना प्रमाण पत्र के रूप में हो।

(ग) जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों/डी आई सी/बी डी ओ/पंचायत और डी आर डी ए से उनके स्तर पर प्रचार करने का अनुरोध किया जाए।

(घ) क्षेत्रीय निदेशक , हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों , शिल्पियों, शिल्पियों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ शिल्प गुरु पुरस्कार स्कीम के प्रति बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष बैठकों का आयोजन करें और वे पहले ही स्थानीय समाचारपत्रों में उपयुक्त विज्ञापन जारी कर सकते हैं।

(ङ) क्षेत्रीय निदेशक , हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र शिल्प गुरु पुरस्कार स्कीम और प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि का प्रचार करें।

(च) क्षेत्रीय निदेशक , हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों द्वारा बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/विचार-गोष्ठी/परिचर्चा आदि में शिल्प गुरु पुरस्कार स्कीम और प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विशेष उल्लेख किया जाए।

.....